न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 05/2017

1. भगवान सहाय
2. हीरालाल
3. हरिशचन्द (अंकित हरिनारायण)

पुत्रान लालाराम

4. श्रवण पुत्र स्व0 हरदेव
5. कल्याण सहाय
6. नानगराम
7. रामफूल

पुत्रान स्व0 गंगाराम

8. सीताराम पुत्र स्व0 सूंडाराम

समस्त जाति मीणा
नि0– नांगल–सुसावतान
तहसील आमेर
जिला जयपुर (राज0)

...अपीलार्थी

बनाम

1. सीताराम पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा नि0 नांगल–सुसावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ

...रेस्पाडेन्ट

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

अपील अर्न्तगत धारा 225 आर0टी0एक्ट 1955 विरूद्व निर्णय दिनांक 02.02.2017 न्यायालय तहसीदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ब मुकदमा नं0 04/2016 उनवानी सीताराम बनाम भगवान सहाय वगै0 अर्न्तगत धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांकः 08.05.2018

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 02.02.2017 जिससे रेस्पाडेन्ट संख्या–1 सीताराम पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) को स्वीकार किया जाकर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ग्राम नारदपुरा तहसील जमवारामगढ स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा हिस्सा 40/373 भूमि पर अपीलांट्स को अतिक्रमी घोषित कर भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये गये, से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.02.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट जारी करने तथा मूल मिसल अधीनस्थ न्यायालय तलब करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर रेस्पाडेन्ट संख्या–1 की ओर से बाद तामील कोई उपस्थित नहीं। रेस्पाडेन्ट संख्या–2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई तथा पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.02.2017 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 का मूल प्रार्थना पत्र संख्या 04/2016 अपीलांट्स एवं रेस्पाडेन्ट्स दोनो की जाति मीणा (अनुसूचित जनजाति) होने से क्षेत्राधिकार के बाहर होने से मेन्टेनेबल नहीं है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.02.2017 को पारित किया गया जबकि हरदेव मीणा पुत्र रामरतन मीणा का स्वर्गवास दिनांक 29.07.2014 को ही हो चुका है, जिस कारण मृतक के विरूद्व निर्णय nullity है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की बिना नोटिस तामील हुये, जवाब सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि खातेदार स्व0 छोटूराम व ग्यारसा पुत्रान श्योबक्स मीणा की खातेदारी में बिना कब्जा दर्ज रही है, विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण के निवास व मकानात व पाटोल एवं पशुओं के बाडे सैकडो वर्षो से मौजूद है। इनमें अपीलांट्स के पूर्वज स्व0 सूण्डाराम के नाम से विद्युत कनेक्शन 50 वर्षो से अधिक समय से लगा हुआ है। वादग्रस्त भूमि का सेटलमेंट की गलती से बिना कब्जा खातेदार छोटूराम व ग्यारसा मीणा दर्ज होने से अपीलांट्स के पूर्वजो का कब्जा स्वीकारते हुए तहरीर दिनांक 01.01.1989 लिखावट निष्पादित की जो अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड पर है। उक्त लिखावट निष्पादन के बाद छोटूराम व ग्यारसा पुत्रान श्योबक्श मीणा ने बिना प्रतिफल, साजसी एवं अनाधिकृत विकय पत्र दिनांक 04.10.2006 रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के हक में निष्पादित किया जो अपीलांट्स के अधिकारो के लिए ab intio null and void है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि के किस हिस्से में से बेदखली करनी है कौनसा हिस्सा रेस्पाडेंट संख्या एक को देना है इसका अंकन अपने आदेश में नहीं किया। अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर अतिकमण किस दिनांक से कितने वर्षो से है ऐसा कोई उल्लेख अपीलाधीन आदेश में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तामील हुये ही आदेश पारित कर दिया जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश दिनांक 02.02.2017 को निरस्त करते हुए रेस्पो0 संख्या एक का मूल प्रार्थना पत्र संख्या 04/2016 अर्न्तगत धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत एवं नियमानुसार ही पारित किया है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी कर पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण की सुनवाई कर आदेश पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में रेस्पाडेन्ट संख्या एक ने प्रार्थना पत्र तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष अर्न्तगत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया कि ग्राम नारदपुरा की आराजी ख0न0 211 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा के 40/373 हिस्से पर गैरसालान–अप्रार्थीगण ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की जिसमें वादग्रस्त भूमि की खातेदारी रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के नाम एवं कब्जा अपीलांट्स का होना बताया गया। प्रार्थना पत्र का अपीलांट भगवान सहाय ने

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)

Scanned by CamScanner